डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिये अनुमत, अनुमति-पत्र क्र. भोपाल—505/डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 182] भोपाल, सोमवार, दिनांक 4 अप्रैल 1983—चैत्र 14, शके 1905

उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 25 मार्च 1983

क्र. एफ-32-4-80-सी-3-अड़तीस—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 15-क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य विश्वविद्यालय सेवा में भरती तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है:—

नियम

भाग 1—प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रवर्तन तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम, 1983 है.

(2) ये "अधिनियम की धारा 15-क की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य विश्वविद्यालय सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

(3) "ये मध्यप्रदेश राजपत्र" में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषायें.—इन नियमों में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973);

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;

(ग) "सरकार" या "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;

(घ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ङ) "अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों" के वही अर्थ होंगे जो कि संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (24) तथा (25) में उनके लिए दिए गए हैं और जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस रूप में अधिसूचित किए जायं;

(च) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;

(छ) "सेवा" से अभिप्रेत है धारा 15-क की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य विश्वविद्यालय सेवा;

(ज) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है ऐसा विश्वविद्यालय जिसे यह अधिनियम लागू होता है.

भाग 2—सेवा का गठन तथा भरती

3. सेवा का गठन.—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

(एक) वे व्यक्ति, जो धारा 15-क (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को सेवा में समाविष्ट कोई पद धारण कर रहे थे और जिन्हें अधिनियम तथा इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में स्थायी रूप से आमेलित कर लिया गया है;

(दो) इन नियमों के अनुसार सेवा में भरती किए गए व्यक्ति.

4. [illegible]करण वेतनमान, आदि.––सेवा का वर्गीकरण, उससे संबद्ध वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची-एक [illegible] अनुसार होगी :

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में स्थायी या अस्थायी रूप से समय-समय पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

5. भरती का तरीका.––(1) नियम 7 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में निम्नलिखित तरीकों से भरती की जाएगी, अर्थात्:––

(क) सीधी भरती द्वारा;

(ख) सेवा में समाविष्ट उच्च पद पर, निम्न पद चाहे वह सेवा में समाविष्ट हो या न हो, धारण करने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति द्वारा; और

(ग) राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों से भिन्न किसी संगठन से प्रतिनियुक्ति द्वारा, जैसा कि कुलाधिपति उचित समझे.

(2) उपनियम (1) के अधीन विभिन्न तरीकों से भरती किए गए व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में दर्शाए गए प्रतिशत के अनुसार होगी.

(3) उपनियम (1) तथा (2) में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, यदि कुलाधिपति की राय में, सेवा की आवश्यकता से ऐसा अपेक्षित हो, तो वह आयोग के परामर्श से सेवा में भरती के ऐसे तरीके अपना सकेगा जो उपनियम (1) में विहित तरीके से भिन्न हों, जैसा कि वह इस संबंध में जारी किए गए आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे.

6. सेवा में नियुक्ति.––इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में सभी नियुक्तियां कुलाधिपति द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 5 के अनुसार ही की जाएगी अन्यथा नहीं.

7. आमेलन.––सेवा में गठन के अव्यवहित पूर्व, सेवा में समाविष्ट संवर्गों के पदों में से किसी पद पर कार्यरत व्यक्तियों की सेवाओं का आमेलन या समाप्त किया जाना निम्नलिखित उपबन्धों द्वारा शासित होगा, अर्थात्:––

(क) कुलाधिपति एक समिति नियुक्त करेगा, जिसमें एक वरिष्ठ कुलपति अध्यक्ष होगा और लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट उसका कोई सदस्य, तथा मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट उसका कोई सदस्य, उसके सदस्य होंगे, जो ऐसे समस्त व्यक्तियों, जो सेवा के गठन के अव्यवहित पूर्व सेवा में समाविष्ट पदों में से किसी भी पद पर कार्यरत हों और जो धारा 15-क की उपधारा (4) में अधिकथित किए गए अनुसार 1 सितम्बर 1980 के पूर्व ऐसे पद पर स्थायी न किए जाने के परिणामस्वरूप स्थायी रूप से आमेलित किए जाने के दायी न हों, मामलों पर विचार करेगी.

(ख) समिति, ऐसे सभी व्यक्तियों के मामलों की छान-बीन करेगी और कुलाधिपति को यह सिफारिश करेगी कि क्या ऐसे व्यक्तियों को आमेलित किया जाय और यदि ऐसा हो तो क्या उन्हें स्थायी रूप से या अनन्तिम रूप से आमेलित किया जाय.

(ग) कुलाधिपति, खण्ड (ख) और (घ) के अधीन समिति की सिफारिश पर, ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे:

परन्तु जहां धारा 15-क की उपधारा (4) के अधीन किसी व्यक्ति की सेवायें समाप्त करना प्रस्तावित हो तो ऐसा आदेश पारित किए जाने के पूर्व उसे सुनवाई का अवसर दिया जाएगा.

(घ) अनन्तिम रूप से आमेलित प्रत्येक व्यक्ति का मामला खण्ड (क) के अधीन गठित समिति द्वारा प्रतिवर्ष पुनर्विलोकित किया जाएगा, जो ऐसे पुनर्विलोकन के पश्चात्, कुलाधिपति को यह सिफारिश करेगी कि क्या ऐसा व्यक्ति स्थायी आमेलन के लिए या अन्यथा योग्य है या इस संबंध में विनिश्चय लेने के पूर्व उसके कार्य और आचरण के संबंध में और आगे विचार करने की आवश्यकता है.

(ङ) धारा 15-क की उपधारा (4) के अधीन देय एक मास का वेतन, संबंधित व्यक्ति को उस विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाएगा जहां वह इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद अव्यवहित पूर्व नियोजित था.

8. सीधी भरती की पात्रता की शर्तें.––सेवा में सीधी भरती के लिए पात्र होने की दृष्टि से अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :––

(एक) आयु:––(क) उक्त पद पर सीधी भरती के लिए आवेदन आमंत्रित करने की अधिसूचना की तारीख के पश्चात आने वाली 1 जनवरी को अनुसूची-दो के खण्ड (3) में विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त करली हो, तथा उक्त अनुसूची के खण्ड (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो.

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, तो अधिकतम आयु, सीमा अधिकतम पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी.

(ग) उन पदों के संबंध में, जिनके लिए उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष से कम है जैसा कि अनुसूची-दो में विहित है उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो मध्यप्रदेश सरकार या मध्यप्रदेश के किसी विश्वविद्यालय के कर्मचारी है या रह चुके हैं, आयु सीमा म नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी:--

(एक) ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी, अस्थायी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाला या कार्यभारित कर्मचारी है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए.

(दो) ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया शासकीय या विश्वविद्यालयीन कर्मचारी है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की समस्त कालावधि, भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जाएगी, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—

पद "छटनी किया गया शासकीय या विश्वविद्यालयीन कर्मचारी" ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो इस राज्य अथवा उसकी संगठक इकाईयों में से किसी भी इकाई में या मध्यप्रदेश के किसी विश्वविद्यालय की अस्थायी सेवा में छः मास से अन्यून कालावधि तक निरन्तर रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने अथवा राज्य विश्वविद्यालय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो.

(घ) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु-सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण:—

पद "भूतपूर्व सैनिक" ऐसे व्यक्ति का द्योतक है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन छः मास से अन्यून कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा हो तथा जिसकी, किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा राज्य विश्वविद्यालय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण, छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक घोषित किया गया हो:—

(1) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे समय पूर्व निर्मुक्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशंस) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो

(2) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसको दूसरी बार भरती किया गया हो और (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर (ख) भरती की शर्तें पूरी हो जाने पर सेवामुक्त कर दिया गया हो,

(3) मद्रास सिविल इकाई के भूतपूर्व कर्मचारी,

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो (जिसमें अल्पावधि सेवा में रजिस्ट्रीकृत कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं).

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवोन्मुक्त किया गया हो.

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक नहीं बन सकेंगे.

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिए गए हों.

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जो गोली लग जाने के घाव तथा ऐसे ही कारण से चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिए गए हों.

टिप्पणी:—ऐसे अभ्यर्थी, जो उपखण्ड (ग) की मद (एक) तथा (दो) में विनिर्दिष्ट आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन के लिए पात्र समझे गये हों, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात्, परीक्षा देने के पूर्व या पश्चात् सेवा से त्याग-पत्र दे दें, तो नियुक्त के पात्र नहीं होंगे. तथापि यदि आवेदन-पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छटनी कर दी जाए तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे. अन्य किसी भी दशा में, इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जाएगी.

विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करनी चाहिए.

(दो) अर्हतायें:—सेवा के लिए अनुसूची दो में दर्शाए अनुसार विहित अर्हतायें उसके पास होनी चाहिए;

परन्तु:—

(क) आपवादिक मामलों में, आयोग कुलाधिपति के अनुमोदन से, ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई भी अर्हता न हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षायें ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों, जो आयोग की राय में अभ्यर्थी के चयन पर विचार किये जाने के लिए न्यायोचित हो; और

(ख) ऐसा अभ्यर्थी, जो अन्यथा अर्ह हो किन्तु उसने ऐसे विश्वविद्यालय से उपाधि ली हो जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त न हो, आयोग के विवेक पर उसके चयन के लिए विचार किया जा सकेगा.

(तीन) फीस.—उसे आयोग द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा.

9. निरर्हता.—अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी अवैध या अनुचित साधन से किया गया कोई भी प्रयास आयोग द्वारा उसके चयन के लिए निरर्हकारी माना जाएगा.

10. अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा.—किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और आयोग द्वारा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, जिसे उसके द्वारा प्रवेश हेतु प्रमाण-पत्र जारी न किया गया हो.

11. सीधी भरती.—(1) सेवा में भरती के लिए चयन ऐसी अंतरावधियों में किया जाएगा, जिसे कुलाधिपति, आयोग के परामर्श से समय-समय पर अवधारित करें.

(2) सेवा में उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन, आयोग द्वारा उनका साक्षात्कार लेकर किया जाएगा, यदि आवश्यक हो, तो आयोग साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों का चयन पात्र अभ्यर्थियों के मामलों की ऐसे मापदण्ड द्वारा छानबीन कर तथा/या उनका परीक्षण या परीक्षा लेकर कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे.

(3) सीधी भरती के लिए उपलब्ध रिक्त स्थानों में से 15 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत स्थान क्रमशः उन अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे, जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य हों.

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्त स्थानों को भरते समय अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उस क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आते हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका आपेक्षित रैंक कुछ भी क्यों न हो.

(5) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्हें आयोग द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा गया हो, प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए उपनियम (3) के अधीन, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(6) यदि समस्त आरक्षित रिक्तियां भरने के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो शेष रिक्तियां अनन्य रूप से उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए पुनर्विज्ञापित की जायेंगी. यदि पुनर्विज्ञापन के बाद भी कोई रिक्ति भरने के लिए शेष रह जाए तो वे सामान्य अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी तथा पश्चात्‌वर्ती चयन के दौरान यथास्थिति अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए उतनी ही संख्या में अतिरिक्त रिक्तियां आरक्षित रखी [illegible] गी:

परन्तु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कुल संख्या (जिनमें अग्रनीत को भी रिक्तियां सम्मिलित होंगी) कभी भी कुल विज्ञापित की गई रिक्तियों के पैंतालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी.

12. आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.—(1) आयोग, उन योग्य अभ्यर्थियों की जो ऐसे मानकों के अनुसार अर्ह हों, जो कि आयोग द्वारा अवधारित किए जायें, और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की, जो यद्यपि मानक के अनुसार अर्ह न हों, किन्तु जिन्हें [illegible] का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया हो, योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची कुलाधिपति को भेजेगा. सूची सामान्य जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी.

(2) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के बारे में उसी क्रम से विचार किया जाएगा जिस क्रम से उनके नाम सूची में आते हों.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित होने से उसे नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिल जाता जब तक कि कुलाधिपति का ऐसी जांच के बाद, जो कि आवश्यक समझी जावे, यह समाधान न हो जाय कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है.

13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.—(1) पात्र अभ्यर्थियों को पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी जिसमें अनुसूची तीन में विनिर्दिष्ट सदस्य होंगे.

(2) समिति की बैठक ऐसी अन्तरावधियों में होगी, जो सामान्यतः एक वर्ष से अधिक की न हो.

(3) ऐसे पदों पर, जिनमें अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार पदोन्नति की प्रतिशतता 33 1/3 प्रतिशत या उससे अधिक हो, [illegible] अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के ऐसे अधिकारियों के लिए आरक्षित रखी जाएगी, जो नियम 14 के उपबन्धों के अनुसार पदोन्नति के पात्र हों.

71

(4) ऐसे किन्हीं अनुदेशों के अध्यधीन रहते हुए, जो कुलाधिपति द्वारा इस संबंध में जारी किए जायें, आरक्षित रिक्तियों पर पदोन्नति संबंधी प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी.

14. पदोन्नति के लिए पात्रता संबंधी शर्तें.—(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष 1 जनवरी, को अनुसूची तीन के कालम (3) में विनिर्दिष्ट पदों पर जिससे पदोन्नति की जानी हो उतने वर्षों की सेवा (स्थानापन्न या मूलरूप में) पूरी करली हो तथा जो उपनियम (2) के उपबन्धों के अनुसार विचार क्षेत्र में आते हों.

(2) चयन का क्षेत्र सामान्यत उन पदों के संबंध में जो योग्यता तथा वरिष्ठता के आधार पर भरे जाने वाले हों, चयन सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अधिकारियों के सात गुने तक और वरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर भरे जाने वाले पदों के संबंध में चयन सूची में सम्मिलित किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या के पांच गुने तक सीमित रहेगा :

परन्तु यदि इस प्रकार अवधारित क्षेत्र के लिए उपयुक्त अधिकारी अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हो, तो वह क्षेत्र समिति द्वारा लिखित कारणों का उल्लेख करते हुए उसके द्वारा आवश्यक समझी गई सीमा तक, बढ़ाया जा सकेगा.

15. उपयुक्त अधिकारियोंकी सूची तैयार करना.—(1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो नियम 14 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा जिन्हें समिति सेवा में पदोन्नति स्थानांतरण के लिए उपयुक्त समझती हो. यह सूची चयन सूची के तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवा निवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी. पूर्वोक्त अवधि के दौरान होने वाली अनपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए आरक्षित सूची भी तैयार की जाएगी, जिस में उक्त सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के पच्चीस प्रतिशत व्यक्ति होंगे.

(2) ऐसी सूची में सम्मिलित करने के लिए किया जाने वाला चयन वरिष्ठता पर समुचित रूप से ध्यान देते हुए योग्यता तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर आधारित होगा.

(3) सूची में सम्मिलित किए गए अधिकारियों के नाम ऐसी चयन सूची तैयार करते [illegible] अनुसूची तीन के कालम (3) में विनिर्दिष्ट किए गए सेवा या पदों में वरिष्ठता क्रम के अनुसार व्यवस्थित होंगे.

परन्तु किसी ऐसे कनिष्ठ अधिकारी को, जो समिति की राय में विशेष रूप से योग्य तथा उपयुक्त हो, कारण अभिलिखित करने के बाद उससे वरिष्ठ अधिकारी की तुलना में सूची में उच्चतर स्थान समनुदेशित किया जा सकेगा.

स्पष्टीकरण.—ऐसे व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो किन्तु जिसे सूची की विधि मान्यता के दौरान पदोन्नत न किया गया हो, उन व्यक्तियों पर, [illegible] सूची में अभिलिखित किए जाने संबंधी तथ्य के कारण वरिष्ठता का दावा नहीं होगा.

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायगा.

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में निम्न काडर के, जिससे पदोन्नति की जानी है, किसी सदस्य का अधिक्रमण प्रस्तावित किया जाये तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारण अभिलिखित करेगी.

16. कुलाधिपति को उपयुक्त अधिकारियों की सूची प्रस्तुत करना.—नियम 15 के अनुसार तैयार की गई सूची निम्नलिखित अभिलेखों के साथ कुलाधिपति को भेजी जाएगी :—

(एक) सूची में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों के अभिलेख;

(दो) ऐसे समस्त व्यक्तियों के अभिलेख, जिनकी सूची में की गई सिफारिशों द्वारा अधिक्रमण प्रस्तावित किया गया हो; और

(तीन) किसी भी व्यक्ति के प्रस्तावित अधिक्रमण के लिये समिति द्वारा अभिलिखित किये गये कारण.

17. चयन सूची.—(1) कुलाधिपति, समिति द्वारा तैयार की गई सूची को अभिलिखित किये गये कारणों से ऐसे उपान्तरणों सहित, यदि कोई हो, जैसा कि वह आवश्यक समझे, अनुमोदित करेगा.

(2) कुलाधिपति द्वारा अंतिम रूप से यथाअनुमोदित सूची, अनुसूची तीन के कालम (3) में पद से, उक्त अनुसूची के कालम (2) के तत्स्थानी पद पर पदोन्नति हेतु चयन सूची होगी.

(3) चयन सूची सामान्यत: तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक नियम 15 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण न किया जाय, किन्तु उसकी विधि मान्यता की कालावधि सूची तैयार की जाने की तारीख से कुल मिलाकर 18 मास से अधिक नहीं बढ़ाई जायगी

परन्तु, चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्यों के पालन में अविचार या गंभीर गलती होने की दशा में, कुलाधिपति के अनुरोध पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे तो ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगा.

18. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.—चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की नियुक्तियां सेवा के संवर्ग के पदों पर उसी क्रम से की जायेंगी, जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आते हों:

परन्तु प्रशासनिक अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित न हो या चयन सूची के क्रम जिसका अगला नाम न हो, सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा यदि कुलाधिपति का इस बात से समाधान हो जाय कि रिक्ति के छह मास से अधिक समय तक चलने की संभावना नहीं है.

19. परिवीक्षा.—(1) सेवा में सीधे भरती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायगा.

परन्तु सेवा में सम्मिलित किसी पद पर स्थानापन्न या अस्थायी हैसियत में की गई निरन्तर सेवा में परिवीक्षा की कालावधि के मद्दे पूर्णत: या आंशिक रूप से गणना करने की कुलाधिपति द्वारा अनुज्ञा दी जा सकेगी :

परन्तु यह और भी कि कुलाधिपति, लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से व्यक्तिगत मामले में परिवीक्षा की कालावधि में अधिक से अधिक दो वर्ष की और वृद्धि कर सकेगा. कालावधि में वृद्धि करने के ऐसे किसी भी आदेश में ऐसी निश्चित कालावधि विनिर्दिष्ट की जायगी जिस तक परिवीक्षा कालावधि में वृद्धि की गई है.

(2) यदि, यथास्थिति, परिवीक्षा कालावधि या परिवीक्षा की कालावधि की समाप्ति पर या बढ़ाई गई परिवीक्षा कालावधि के दौरान यह पाया जाय कि संबंधित व्यक्ति उस पद के लिये उपयुक्त नहीं है जिस पर वह परिवीक्षा पर कार्य कर रहा है, तो उसे किसी प्रतिकर या नुकसानी का अधिकार दिये बिना सेवा से अलग कर दिया जायगा और ऐसी कार्रवाई दण्ड के रूप में नहीं मानी जायगी.

20. स्थायीकरण.—परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि कुलाधिपति द्वारा उसका कार्य तथा आचरण संतोषजनक पाया गया हो तो, यथास्थिति, परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा की कालावधि की समाप्ति पर उसके पद पर स्थायी कर दिया जाएगा.

21. वरिष्ठता.—(1) नियम 12 या नियम 18 के अधीन सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता उस प्रवर्ग से मूल हैसियत में नियुक्ति आदेश की तारीख से निर्धारित की जाएगी परन्तु यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों को एक ही तारीख को नियुक्त किया गया हो तो सीधे भरती किए गए व्यक्तियों को पदोन्नत अधिकारियों से पहले रखा जाएगा:

परन्तु प्रत्येक प्रवर्ग में सीधी भरती वाले तथा पदोन्नत व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायगी, जिसमें उनके संबंधित नाम, यथास्थिति, नियम 12 या नियम 18 के अधीन तैयार की गई सूची में दर्शाए गए हों.

(2) अधिनियम की धारा 15-क की उपधारा (4) या नियम 7 के अधीन सेवा के किसी संवर्ग में अंतिम रूप से अभिलिखित अधिकारियों की वरिष्ठता उस संवर्ग में, उस पद पर स्थायीकरण की तारीख से की गई कुल निरन्तर सेवा के आधार पर अवधारित की जायेगी.

(3) किसी अधिकारी की वरिष्ठता से संबंधित सभी विवादों में कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा.

टिप्पणी.—किसी पद पर सीधे नियुक्त किए गए अभ्यर्थी की वरिष्ठता उस समय समाप्त हो जावेगी यदि वह उस पद पर ऐसी कालावधि के भीतर, जो नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट की गई हो या ऐसी बढ़ाई गई कालावधि के भीतर, जैसी कि कुलाधिपति द्वारा अनुज्ञात की गई हो, पद: ग्रहण नहीं करता है.

भाग तीन—स्थानान्तरण, वेतन तथा छुट्टी

22. स्थानान्तरण.—कुलाधिपति, सेवा के किसी भी सदस्य को एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित कर सकेगा.

23. भुगतान प्राधिकारी.—इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए सेवा में नियुक्त व्यक्तियों के वेतन तथा भत्तों का भुगतान उस विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति तत्समय पदस्थ हों.

24. परिवीक्षा के दौरान वेतन.—(1) परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि वह विश्वविद्यालय की स्थायी सेवाओं में पहले से न हो परिवीक्षा की कालावधि के दौरान पद का न्यूनतम वेतन प्राप्त करेगा. परिवीक्षा कालावधि के पश्चात् स्थायी होने पर वह भूतलक्षी प्रभाव से उन वेतनवृद्धियों के लिये दावा करने का हकदार होगा, जो उसकी परिवीक्षा के दौरान उसे सामान्य क्रम में प्राप्त होतीं:

परन्तु, यदि संतोषप्रद परिणाम न निकलने के कारण परिवीक्षा कालावधि में वृद्धि की गयी हो, तो बढ़ाई गई कालावधि की गणना, वेतन-वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायगी जब तक कि कुलाधिपति अन्यथा निदेश न दें.

(2) परिवीक्षा कालावधि के दौरान ऐसे किसी व्यक्ति का वेतन, जो राज्य विश्वविद्यालय सेवा में भरती होने के पूर्व किसी विश्वविद्यालय की सेवा में पहले से कोई मूल पद धारण कर रहा हो, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन से संबंधित सुसंगत नियम के अनुसार विनियमित होगा.

25. दक्षतारोध पार करने का मानदंड.—(1) सेवा के किसी भी सदस्य को पहला दक्षतारोध पार करने के लिये तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायगा जब तक कि उसके संबंध में यह न पाया जाए कि उसने संतोषप्रद ढंग से और अपनी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार कार्य किया है और उसकी सत्यनिष्ठा उस विश्वविद्यालय जिसमें वह कार्य कर रहा है, के कुलपति द्वारा प्रमाणित न कर दी जाए.

(2) सेवा के किसी भी सदस्य को प्रथम, द्वितीय और पश्चात्वर्ती दक्षतारोध, यदि कोई हो, को पार करने के लिये तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायगा, जब तक कि उसका कार्य, आचरण, सत्यनिष्ठा तथा योग्यता पूर्ण संतोषप्रद न हो.

(3) सेवा के किसी भी सदस्य को, दक्षतारोध पार करने तथा दक्षतारोध से ऊपर आगामी वेतन वृद्धि देने के आदेश उस विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा जारी किए जाएंगे, जहां वह तत्समय पदस्थ किया गया हो.

(4) ऐसे प्रत्येक अवसर पर, जब सेवा के सदस्य को ऐसा दक्षतारोध पार करने के लिये अनुज्ञात किया गया हो जो कि पहले रोक दिया गया था, उसका वेतन दक्षतारोध पार करने की तारीख से वेतनमान के ठीक आगामी स्तर पर नियत किया जायगा.

26. छुट्टी, छुट्टी-भत्ते, स्थानापन्न वेतन, फीस तथा मानदेय.—(1) इन नियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय छुट्टी तथा छुट्टी वेतन से संबंधित समस्त मामले जहां तक हो सके वैसी ही प्रास्थिति के सरकारी कर्मचारियों को लागू छुट्टी नियमों में अधिकथित तरीकों द्वारा विनियमित होंगे और उससे संबंधित सभी संशोधन और साथ-समय-समय पर जारी किए गए समस्त स्पष्टीकरण यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे :

परन्तु यदि उसी प्रास्थिति का कोई तत्समान पद न हो, तो ऐसा मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उनका आदेश अंतिम होगा.

(2) सेवा के किसी सदस्य को वेतन, जिसमें स्थानापन्न वेतन और अतिरिक्त वेतन, विशेष वेतन, मानदेय, क्षतिपूर्ति भत्ते, निर्वाह भत्ते की मंजूरी तथा फीस की स्वीकृति यदि कोई हो, सम्मिलित है, यथाशक्य उन्हीं निबंधनों तथा शर्तों द्वारा विनियमित होगा, जो मध्यप्रदेश राज्य के मूल नियमों के अधीन उसी प्रास्थिति के सरकारी कर्मचारियों को लागू हैं और ऐसे मामले जो स्पष्टतः उक्त उपबंधों के अंतर्गत नहीं आते हैं कुलाधिपति को निर्दिष्ट किए जाएंगे, जिन पर उनका आदेश अंतिम होगा.

27. छुट्टी व्यय का भार आदि.—सेवा के ऐसे सदस्यों के, जो एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित किये जायं; छुट्टी व्यय, अभिवहन वेतन तथा भत्ते, जिसमें यात्रा भत्ते सम्मिलित हैं, का भार निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार विनियमित होगा, अर्थात्:—

(क) जब सेवा का कोई सदस्य एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानान्तरित किया जाय तब उसका अभिवहन वेतन तथा भत्ते उस विश्वविद्यालय द्वारा वहन किए जाएंगे, जिसमें उसे स्थानान्तरित किया गया है.

(ख) सेवा के किसी सदस्य को, उसे विश्वविद्यालय में, जिसमें उसे स्थानान्तरित किया गया हो, अपना वेतन तथा भत्ता लेने के लिये अनुज्ञात किये जाने के पूर्व, वह उस विश्वविद्यालय के, जिसमें वह ऐसे स्थानान्तरण के पूर्व विनिर्दिष्ट कालावधि तक सेवा कर रहा था, वित्त अधिकारी का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें वह कालावधि जिस तक और ऐसी दर जिस पर वह ऐसे विश्वविद्यालय में अपना वेतन तथा भत्ते लेता रहा है और उसके ऊपर बकाया रकम विनिर्दिष्ट की जायगी.

(ग) छुट्टी वेतन उस विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायगा जहां से ऐसा सदस्य छुट्टी पर जाता है.

भाग चार—अनुशासनात्मक कार्यवाहियां, सेवा निवृत्ति तथा विविध उपबन्ध.

28. अनुशासनात्मक कार्यवाहियां.—(1) उपनियम (2), (3) तथा (4) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, अधिनियमितियां तथा नियम अथवा उनके अभाव में अनुशासनात्मक कार्यवाहियों, अपीलों, पुनर्विलोकनों, अन्य उपायों तथा दण्ड के विरुद्ध अभ्यावेदनों के बारे में अनुदेश, जैसे वे तत्समय राज्य सरकार के अधिकारियों को लागू होते हों, सेवा के अधिकारियों को यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे.

(2) सेवा के सदस्यों को [illegible] या सेवा से हटाने या पदावनत करने का दण्ड देने की शक्ति कुलाधिपति में निहित होगी. जिस विश्वविद्यालय में सेवा का संबंधित सदस्य तत्समय सेवा कर रहा हो उसका कुलपति अन्य शास्तियां अधिरोपित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी होगा :

परन्तु कुलसचिव के मामले में 'परिनिन्दा' को छोड़कर कोई भी अन्य शास्ति अधिरोपित करने के लिये केवल कुलाधिपति सक्षम होगा,

परन्तु यह और भी कि किसी ऐसे सदस्य के संबंध में पदच्युति या सेवा हटाने या पदावनत करने के लिये कोई आदेश देने के पूर्व आयोग स परामर्श करना आवश्यक होगा.

(3) कुलसचिव को निलम्बित करने या उसके विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी कुलाधिपति होगा तथा सेवा के अन्य सभी अधिकारियों के संबंध में एसा करन के लिय सक्षम प्राधिकारी उस विश्वविद्यालय, जिसमें एसा अन्य अधिकारी तत्समय सधारित हो, का कुलपति होगा.

(4) जहां कुलपति द्वारा किसी सदस्य के विरुद्ध उपनियम (3) क उपबन्धों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई हो और जांच पूरी हो जाने के बाद वह इस अन्तिम निकर्ष पर पहुंच कि पदच्युति या सेवा स हटान या पदावनत करन की शास्ति दी जानी चाहिए तो वह ऐसे मामले को अपने निष्कर्षों और सिफारिशों के साथ कुलाधिपति के पास आदेशों के लिये भेजेगा.

29. सेवानिवृत्ति की आयु.—(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए राज्य विश्वविद्यालय सेवा के सदस्यों की सेवा से निवृत्ति की आयु 60 वर्ष होगी:

परन्तु कुलाधिपति सेवा के किसी ऐसे सदस्य को जो अधिवर्षिता की आयु का हो चुका हो, जनहित में, ऐसी और कालावधि के लिये जो दो वर्ष से अधिक नहीं होगी सेवा वृद्धि की मंजूरी दे सकेगा बशर्ते कि उस सदस्य का सराहनीय सेवा अभिलख हो.

(2) यदि कुलाधिपति जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझे, तो वह सेवा क किसी सदस्य की 57 वर्ष की आयु पूरी हो जान पर तीन माह की सूचना देकर अथवा यथास्थिति पूरी अवधि या यदि ऐसी सूचना तीन माह की अवधि से कम पड़े तो उसके उतने भाग के बदले वेतन देकर ऐसे सदस्य की सेवा निवृत्ति के आदेश दे सकेगा.

(3) सेवा का कोई सदस्य 57 वर्ष की आयु का हो जाने पर कुलाधिपति को तीन माह की सूचना दन के पश्चात् स्वेच्छया सेवा निवृत्ति ले सकेगा. किसी एसे सदस्य क मामल में, जिसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां लंबित हों, एसी सूचना कवल तभी प्रभावी होगी जब कुलाधिपति द्वारा वह स्वीकार कर ली जाए. इस उपनियम के अधीन एक बार दी गई सूचना कुलाधिपति की अनुमति के बिना वापस नहीं ली जाएगी.

30. निर्वचन.—यदि सेवा के किसी सदस्य को वतन, यात्रा भत्ता, भविष्य निधि या किसी अन्य बकाया राशि क भुगतान क लिये किसी विश्वविद्यालय के दायित्व के बारे में कोई विवाद उत्पन्न हो या यदि इन नियमों के किसी उपबन्ध के निर्वचन के बारे में कोई विवाद या कठिनाई उत्पन्न हो तो वह कुलाधिपति को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा.

31. छूट देने की शक्ति.—इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां कुलाधिपति का इस बात से समाधान हो जाए कि इन नियमों के उपबन्धों में से किसी भी उपबन्ध के प्रवर्तन स किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कष्ट हो रहा है, तो वह आदेश देकर उस उपबन्ध की अपेक्षाओं को या तो समाप्त कर सकेगा या उसे ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए शिथिल कर सकेगा जिस सीमा तक कि उसे मामले में न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये वह आवश्यक समझे.

अनुसूची—एक

(नियम 4 तथा 5 देखिए)

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	वेतनमान	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की प्रतिशतता: सीधी भरती द्वारा देखिए नियम 5 (एक) (क)	पदोन्नति द्वारा देखिए नियम 5 (एक) (ख)	प्रतिनियुक्ति द्वारा, देखिए नियम 5 (एक) (ग)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				प्रतिशत	प्रतिशत	
1	कुलसचिव	8	समय-समय पर यथा-स्वीकृत	25	75	कुलाधिपति, यदि वह उचित समझे तो किसी पद पर किसी योग्य व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर सकेगा.
2	उप-कुलसचिव	समय-समय पर यथा स्वीकृत	..		100	तदैव
3	सहायक कुलसचिव	,,	,,	50	50	तदैव
4	नियंत्रक, विश्वविद्यालय मुद्रणालय	,,	,,	50	50	तदैव
5	उप-नियंत्रक, विश्वविद्यालय मुद्रणालय	,,	,,	100	..	तदैव
6	वित्त अधिकारी	,,	,,	..	..	100 प्रतिशत
7	विश्वविद्यालय इंजीनियर	,,	,,	..	..	100 प्रतिशत.

अनुसूची—दो

(नियम 8 देखिए)

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कुलसचिव	40 वर्ष	55 वर्ष	अनिवार्य:— (एक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि. (दो) किसी अध्यापन/प्रशासनिक पद पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव. वांछनीय :— 5 वर्ष का अध्यापन का अनुभव यदि उम्मीदवार प्रशासनिक क्षेत्र का है. 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव यदि व्यक्ति अध्यापन क्षेत्र का है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	उप कुल सचिव ..	25 वर्ष	35 वर्ष	अनिवार्य :— किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि. वांछनीय — अध्यापन/प्रशासनिक पद पर कार्य करने का अनुभव.
3	नियंत्रक, विश्वविद्यालय मुद्रणालय	35 वर्ष	55 वर्ष	(एक) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि (दो) भारत में किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्था/स्कूल/मुद्रण महाविद्यालय से मुद्रण में तथा सम्बद्ध व्यवसाय में पत्रोपाधि (तीन) आधुनिक मेकेनिकल कम्पोजिंग, स्वचालित मुद्रण मशीन आदि वाले मुद्रणालय में उत्तरदायी पर्यवेक्षी हैसियत में जिसका वेतनमान रु. 350—700 से कम न हो, हो कम से कम 7 वर्ष का अनुभव. (चार) हाथ तथा मेकेनिकल कम्पोजिंग, मुद्रण मशीन सुधारने, जिल्दसाजी तथा मुद्रण व्यवसाय की सभी शाखाओं का विस्तृत ज्ञान, कापी फिटिंग, पाण्डुलिपि सम्पादन, टाइप, अभिन्यास तैयार करने तथा संजावटी छपाई आदि का ज्ञान. (पांच) हिन्दी तथा अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान. टिप्पणी.(एक).—मुद्रण प्रबंध में असाधारण योग्यता वाले उम्मीदवार और/या अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता वाले क्रियाशील मुद्रकों को मुद्रण प्रयोगिकी में पत्रोपाधि की आवश्यकता से छूट देने पर विचार किया जा सकेगा. (दो) असाधारण तकनीकी अर्हता तथा अनुभव वाले उम्मीदवारों को उनकी शैक्षणिक अर्हता को भी शिथिल करने पर विचार किया जा सकेगा
4	उपनियंत्रक, विश्वविद्यालय मुद्रणालय	30 वर्ष	40 वर्ष	अनिवार्य.— भारत में किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्था/स्कूल/मुद्रण महाविद्यालय से मुद्रण तथा संबंधित व्यवसाय में पत्रोपाधि (दो) आधुनिक मेकेनिकल कम्पोजिंग, स्वचालित मुद्रण मशीन आदि वाले मुद्रणालय में कार्य का कम से कम 5 वर्ष का व्यवहारिक अनुभव (तीन) हाथ तथा मेकेनिकल कम्पोजिंग, मुद्रण, मशीन सुधारने, जिल्दसाजी तथा मुद्रण व्यवसाय की सभी शाखाओं का विस्तृत ज्ञान, कापी फिटिंग, पाण्डुलिपि सम्पादन, टाइप, अभिन्यास तैयार करने तथा सजावटी छपाई आदि का ज्ञान वांछनीय.— किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि

अनुसूची—चार

(नियम 13, 14 तथा 15 देखिए)

अनु-क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम, जिस पर पदोन्नति की जानी है.	उस पद का नाम जिसमें, पदोन्नति की जाएगी	पदोन्नति समिति के सदस्य	पदोन्नति के लिये अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कुलसचिव	1. उपकुलसचिव 2. वित्त अधिकारी, जिसे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त नहीं किया गया हो, किन्तु नियम 7 के अधीन वित्त अधिकारी के रूप में सम्मिलित किया गया हो.	1. कुलाधिपति द्वारा—अध्यक्ष निर्दिष्ट वरिष्ठ कुलपति	कालम (3) में उल्लिखित पद (पदों) पर 7 वर्ष का अनुभव
2	उप-कुलसचिव	1. सहायक कुल सचिव .. 2. कुलपति का सचिव, जो सहायक कुलसचिव के वेतनमान में कार्य कर रहा हो.	2. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग — सदस्य या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई सदस्य.	कालम (3) में उल्लिखित पद (पदों) पर 5 वर्ष का अनुभव.
3	सहायक कुल सचिव	1. वरिष्ठ अधीक्षक .. 2. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक जो वरिष्ठ अधीक्षक के वेतनमान में हों.	3. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश उच्च-शिक्षा—सदस्य, अनुदान आयोग या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य.	कालम (3) में उल्लिखित पद (पदों) पर 5 वर्ष का अनुभव.
4	नियंत्रक विश्वविद्यालय, मुद्रणालय.	उप नियंत्रक विश्वविद्यालय, मुद्रणालय.	..	कालम (3) में उल्लिखित पद पर 7 वर्ष का अनुभव.

टिप्पणी.—(1) सभी विश्वविद्यालयों में कालम (3) में उल्लिखित पद धारण करने वाले व्यक्तियों की वरिष्ठता सूची तैयार करते समय नियम 21 में अधिकथित सिद्धान्तों के अनुसार नाम व्यवस्थित किए जाएंगे.

(2) कालम 3 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति को भी नियम 5 (1) (ख) के अनुसार पदोन्नति हेतु विचार किया जा सकेगा चाहे उसका पद सेवा में समाविष्ट हो अथवा न हो.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक वाजपेयी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 मार्च, 1983

क. एफ.-32-4-80-सी.-3-अड़तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 32-4-80-सी-3-अड़तीस-दिनांक 25 मार्च 1983 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक वाजपेयी, सचिव.